न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढ, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी राहुल शर्मा , आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 367/2016
CIS NO. 2761/2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2016
पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी।
........अभियोगी

बनाम

अजय पुत्र श्री छीतर, निवासी ग्राम रलावता, पुलिस थाना गाधींनगर, जिला अजमेर।
.........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं
धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957

उपस्थित–

(1). सहायक अभियोजन अधिकारी–राज्य की ओर से।
(2). श्री शातिंलाल ढेल, विद्वान अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांक 07–03–2026

(1). इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर की ओर से अभियुक्त के विरूद्व आरोप पत्र **अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम 1957** का न्यायालय में पेश करने पर हुआ, जिसका निस्तारण किया जा रहा है।

(2)–प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12–01–2016 को परिवादी भवंरलाल स.उ.नि. पुलिस थाना रूपनगढ, जिला अजमेर ने कम्प्यूटराइज्ड रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 पुलिस थाना रूपनगढ में इस आशय की पेश की कि दिनाँक 12.1.16 को समय 3:05 पी एम पर मन भँवरलाल स.उ.नि. कानि. 1530 नरसाराम,कानि. 2177 मंगलचन्द, चालक 839 लक्ष्मण सिह मय जीप सरकारी के

मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से गस्त व जुरायम कन्ट्रोल हेतू रवाना होकर समय करीबन 3:15 पी एम त्यौद रोड रुपनगढ पहुँचा तो एक ट्रेक्टर ग्राम त्यौद की तरफ जाता मिला जिसमे खनिज बजरी भरी हुई थी जिसके आगे जाकर ट्रेक्टर को रुकवाया वाहन चालक ने ट्रेक्टर को रोका ट्रेक्टर के नम्बर देखे तो RJ–42–RA–0561 मेशी फरगुशन 1035 DI बंरग लाल था। ट्रेक्टर चालक को नाम पता पुछा तो अपना नाम अजय पुत्र छीतर निवासी ग्राम रलावता थाना गॉधीनगर जिला अजमेर बताया। चालक को खनिज बजरी परिवहन करने का लाइसेस व परमिट का पुछा तो नही होना बताया........इत्यादि।

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना रूपनगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 07/2016 **अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम 1957 (जिसे इस निर्णय में आगे एम.एम..डी. आर. अधिनियम के नाम से सम्बोधित किया जाएगा)** के तहत पंजीबद्व कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम 1957 का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

(3). न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त के विरूद्व धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम 1957 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाये जाने पर अभियुक्त ने उक्त आरोप सुन व समझ कर आरोपों से इकांर कर अन्वीक्षा चाहीं।

(4). साक्ष्य अभियोजन में निम्न गवाहान को परीक्षित करवाया गया–

क्रम	**नाम**	**साक्ष्य प्रकृति**
पी.डब्लयू–1	मगंलचन्द	फर्द जब्ती व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्लयू–2	गगांराम चौधरी	पटवारी
पी.डब्लयू–3	श्रवणराम	मालखाना प्रभारी
पी.डब्लयू–4	अरविंद कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्लयू–5	नरसाराम	फर्द जब्ती व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्लयू–6	भवंरलाल	परिवादी

(4)– साक्ष्य अभियोजन के दौरान निम्न दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित कराये गये–

क्रम	प्रदर्श	विवरण

1	पी-1	फर्द जब्ती वाहन
2	पी-2	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम
3	पी-3	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
4	पी-4A	नक्शा ट्रेस
5	पी-5A	जमाबंदी
6	पी-6	नकल मालखाना रजिस्टर
7	पी-7	तहरीरी रिपोर्ट
8	पी-8	चाक एफ आई आर
9		
10		

(5)– साक्ष्य अभियोजन होने के पश्चात् अभियुक्त ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वंय के परीक्षण में अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया है कि उसे झूंठा फसायां गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा ।

(6). बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

(7). दौरानें बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क हैं कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन की समस्त साक्ष्य व मौखिक सामग्री से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड सहिंता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम 1957 में युक्तियुक्त सदेंह से परे प्रमाणित है। अभियोजन के समस्त गवाहान ने घटना की ताईद की है तथा पत्रावली पर जो भी साक्ष्य आए है उससे भी पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य से भी सम्पुष्टि होती है। अभियुक्त द्वारा बिना किसी परमिट या लाईसेंस के अवैद्य रूप से खनन कर उक्त खनिज की चोरी की गई है। अभियोजन की कहानी में किसी प्रकार का कोई सन्देह नही है। अभियोजन ने अपने मामले को भलि भांति साबित किया है। इसलिए अभियुक्त को दोषसिद्व कर सजा दी जावे।

(8). विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्को का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क हैं कि प्रकरण में अभियुक्त पर बिना परमिट व लाईसेंस के अवैद्य रूप से खनन करके उक्त बजरी को चोरी करने व परिवहन करने

का आरोप है। परन्तु इस संबंध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है एवं किसी भी गवाह की ऐसी साक्ष्य नही है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अभियुक्त को किसी ने खनन करते हुये नही देखा तथा ना ही अभियुक्त को खनन करते हुये मौके से पकडा गया है एवं ना ही अभियुक्त को खनिज चोरी करते हुए देखा है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

(9). उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि-

1- क्या अभियुक्त ने दिनांक 12-01-2016 को समय करीब 9.45 ए. एम. के लगभग या उससे पूर्व खनन क्षैत्र से बिना किसी परमिट /लाइसेंस या रवन्ना के खनिज बजरी का खनन कर उसका अवैध परिवहन किया ?

2- क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर टेक्ट्रर नम्बर RJ 42 RA 0561 में भरे खनिज बजरी को खनन क्षैत्र से राज्य सरकार /समक्ष अधिकारी के कब्जे से बिना उसकी सहमति के बेइमानीपूर्वक आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

3- यदि हॉ तो उचित दण्ड क्या हैं ?

(10)- विचारणीय बिन्दुओं के सम्बन्ध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह दर्शित होता है कि गवाह पी.डब्लयू 1 मगंलचंद ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.01.2016 को वह पुलिस थाना रूपनगढ़ थाने पर कानि, के पद पर तैनात था। उस दिन समय 3 पी.एम पर वह, भंवर लाल, ए एस आई, लक्ष्मण, नरसा राम सरकारी जिप से गश्त करते हुये त्योद रोड पर करीब सवा तीन बजे हम पहुच गये थे। वहा पर हमने एक बजरी से भरा हुआ। टेक्टर देखा और उसको रूकवाया उसके नम्बर आर जे 42 आर ए 0561 मेसी फरगुशन डीआई उसका रंग लाल था। टेक्टर चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम फिर ए.एस.आई भंवर लाल ने उसे खनिज बजरी के परिवहन और लोईसेन्स के बाबत पूछा तो अजय निवासी रलावता बताया था। टेक्टर चालक अजय माली द्वारा खनिज बजरी के लाईसेन्स और परिमट अपने पास होने के लिये मना किया। फिर उस ट्रेक्टर को जरिये फर्द प्रदर्श पी 1 जप्त किया जिस पर उसके हस्ताक्षर ए से बी है, उक्त फर्द 3:40 बना ली थी ए. एस.आई भंवर लाल द्वारा उनके सामने बनायी थी। उसके पश्चात टेक्टर चालक अजय माली को जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 द्वारा गिरफतार किया गया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है उक्त फर्द 3:50 पर मौके पर बनायी थी। उसके पश्चात् मौके से रवाना

होकर थाने आकर ए.एस.आई भंवर लाल द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त नकशा मौका दिनांक 13.01.2016 को समय 4–4:30 के बीच बनाया था उक्त नक्शा मौका त्योद रोड पर जहा से टेक्टर चालक अजय को गिरफतार एवं टेक्टर ट्राली मय खनिज जप्त किया था। उक्त नक्शा मौका बनाते समय उसके अलावा नरसा राम जी मौजुद थे एवं श्री भंवर लाल की निशा देही पर श्री अरविन्द ए.एस.आई द्वारा बनाया गया था। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि वे थाने से गश्त के लिये पौने पांच बजे रवाना हुये थे। थाने से रवानगी की रपट रोजनामचे पर है या नहीं इस बात की जानकारी नहीं है। थाने से 2 किलोमीटर की दुरी पर घटना हुयी थी। टेक्टर रूपनगढ से त्योद जा रहा था। टेक्टर को रूकाये गये स्थान पर अडोस पडोस मे कुछ नहीं था दुर डेरे थे। वह यह नहीं बता सकता की वो डेरे किसके थे। जब घटना स्थल पर पहुचे और टेक्टर को रूकवाया तो वहा और कोई लोग इकठा नहीं हुये है। यह बात सही है कि पुलिस कर्मचारी होने के कारण आई ओ के कहने से प्रदर्श 1 लगायत 3 पर हस्ताक्षर किये थे। टेक्टर मे बजरी भरी हुयी थी। चालक के पास रायल्टी की रसीद के लिये ए.एस आई साहब ने पुछा था लेकिन उसने बताया नहीं। यह बात सही है कि बजरी किस जगह से भरकर आयी थी, वह यह नही बता सकता। गश्त पर जाते समय उसके साथ लक्ष्मण सिंह, नरसा राम, भंवर लाल जी ए.एस.आई थे इनके अलावा और कोई नहीं था। यह बात सही है कि टेक्टर मय ट्राली के अदंर कोई बजरी थी इस संबंध में पुलिस ने मौके पर कोई फोटो नहीं खिची। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बजरी की फोटो पत्रावली पर है या नहीं। यह कहना गलत है कि सम्पूर्ण कार्यवाही थाने मे बैठकर मेरे अधिकारीयो के निदेशुसार की थी। गश्त पर जाते समय हम पूर्व दिशा की तरफ से गये थे। यह बात सही है कि पाचुंटी होटल पांवर हाउस होते हुये नहीं गये थे। सम्पूर्ण कार्यवाही करके वापस थाने पर शाम को 5:30 बजे आ गये थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आमद रपट पत्रावली पर है या नही। यह कहना गलत है कि चालक श्रवण ने रायल्टी रसीद भंवर लाल जी ए.एस.आई को दिखाई थी उसे लेकर उसे फाड़ दी हो। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि भंवर लाल द्वारा रसीद फाडने वाली बात की हमारे उच्च अधिकरीयो को शिकायत की हो। मुखबिर की जानकारी थाने पर नहीं आयी थी। यह बात सही है कि थाने से उक्त टेक्टर की बिना जानकारी के निकले थे, हम गश्त पर निकले थे। ए.एस.आई के मोबाईल पर मुखबिर का फोन आया था। ए.एस.आई के मोबाईल नम्बर याद नहीं है। फिक्स पौने पांच बजे फोन आया था। यह बात सही है कि उसे पहले और बाद में फोन नही आया था। हम पांच बजे स्थल पर चले गये थे। यह कहना गलत है कि किसी टेक्टर को नहीं पकड़ा हो और झुठा एक्ट बनाने के लिये उक्त मुकदमा किया हो।

(11)– गवाह पी.डब्लयू 2 गगांराम चौधरी ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 12.01.2016 को तहसील रूपनगढ पर पटवारी

के पद पर कार्यरत था उस दिन पुलिस थाना रूपनगढ के प्रतिवेदन पर उसके द्वारा नक्शा टेरस नकल खसरा नम्बर 89/1 कि आंशिक नकल तैयार करके पुलिस थाना रूपनगढ को सुपुर्द की थी। उक्त आंशिक नकल नक्शा प्रदर्श पी 4 ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नकल जमाबंदी गांव भदुण कि आंशिक नकल जो खसरा नम्बर 89/1 कि तैयार कर राजकार्य हेतु सत्यप्रतिलिपि निशुल्क जारी की थी जो प्रदर्श पी 5 ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त खसरे के जमीन सरकारी नदी है। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह बात सही है उसने सिर्फ खसरा न. 89/1 की नकल पुलिस के प्रतिवेदन पर दी है । वह मोके पर नहीं गया न ही उस जगह की ताहिर नहीं की क्रिम बजरी का अवैध उक्त खसरा ने में हुआ हो।

(12)– गवाह पी.डब्लयू 3 श्रवणराम ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.01.2016 को वह थाना रूपनगढ़ पर मालखाना इन्चार्ज के पद पर कार्यरत था उस दिन मुकदमा नम्बर 7/16 धारा 379 भादस, 4/21 एम एम आर डी एक्ट में जप्तशुदा टैक्टर आर जे 42 आर ऐ 0561 मय बजरी जप्ती अधिकारी श्री भवर लाल जी ए एस आई ने लाकर पेश कि थी जो मालखाना रजिस्टर नम्बर 5/16 प्रदर्श पी 6 है जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 6 ए है। मालखाना रजिस्टर मे दर्ज कोल्म में ए से बी जप्त किये गये माल का पृष्ठाकंन है, और सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। उक्त माल उसके द्वारा मालखाने में जमा करवाया। नकल मालखान रजिस्टर प्रदर्श पी 6 ए पर प्रकाश चंद जी थाना अधिकारी के हस्ताक्षर है, जिनके साथ कार्य करने से वह उनके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि यह सही है मालखाना रजिस्टर मे उसे भंवरलाल ASI ने सुपुर्द किया उनके हस्ताक्षर नहीं है। यह बात भी सही है प्रदर्श P6 में ट्रेक्टर किस समय सुपुर्द किया इसका इन्द्राज नहीं है न ही इस ट्रेक्टर के चेचीस न इंजन ने का भी इंद्राज नहीं है। यह कहना गलत है कि रूपनगढ थाने का कर्मचारी होने के नाते झूठे बयान दे रहा है। यह कहना गलत है कि उसने किसी ट्रैक्टर को मालखाने में जब्त नहीं किया।

(13)– गवाह पी.डब्लयू 4 अरविदं कुमार ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.01.2016 को वह एएसआई के पद पर पुलिस थाना रूपनगढ़ में कार्यरत था। उस दिन भवरलाल एएसआई ने एक टाईपशुदा तहरीर रिपोर्ट सिद्धार्थ जी प्रजापत एसआई प्रो. के समक्ष पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध 379 भादसं. तथा 4/21 एमएमडीआर एक्ट की वकू में आना पाये जाने पर मुकदमा नंबर 07/2016 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। उक्त तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है जिसपर ए से बी भंवरलाल के हस्ताक्षर हैं, सी से डी कार्यवाही पुलिस अंकित है, ई से एफ एसएचओ के हस्ताक्षर हैं, उपरोक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर मैं उनके साथ कार्य करने से पहचानता हूं। चाक एफ आई आर प्रदर्श

पी-08 है जिस पर ए से बी भंवरलाल, सी से डी एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान फर्दजब्ती, फर्द गिरफतारी लाल स्याही से मुकदमा नंबर अंकित शामिल पत्रावली किये गये। दौराने अनुसंधान परिवादी की निशादेही पर मौके पर जाकर नक्शा मौका घटनास्थल तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया जो कि प्रदर्श पी-03 है जिस पर ए से बी मंगलचंद, सी से डी नरसाराम, ई से एफ भंवरलाल, जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान परिवादी भंवरलाल, गवाह नरसाराम, मंगलचंद के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण संबंधी नक्शाट्रेस प्रदर्श पी-04 ए, नकल जमाबन्दी प्रदर्श पी-05 ए प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रेक्टर के कागजात की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। बाद अनुसंधान उसके द्वारा अभियुक्त अजय पुत्र छीतर के विरूद्ध अपराध धारा 379 भादसं. तथा 4/21 एमएमडीआर एक्ट प्रमाणित मानकर पत्रावली एस.एच.ओ. सिद्धार्थ जी प्रजापत प्रो. को सुपुर्द की जिनके द्वारा उक्त प्रकरण का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उनके हस्ताक्षर हैं। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि तफतीश मिलने के बाद दिनांक 13.01.2016 को समय 04:20 पीएम पर वह घटनास्थल पर पहुंचा था। यह बात सही है कि मौके पर किसी स्वतंत्र गवाह को तलब नहीं किया गया था, अधीनस्थ कर्मचारियों को ही गवाह मामूर किया गया था। यह कहना सही है कि जब्तशुदा ट्रेक्टर में मिट्टी थी अथवा बजरी थी इस बाबत कोई केमिकल जांच नहीं करवाई गई थी। यह कहना सही है कि जब्तीकर्ता से इस बाबत पूछताछ नहीं की थी कि अभियुक्त से रॉयल्टी राशि की रसीद या रवन्ना प्राप्त किया गया हो या नहीं। इस बाबत् तफतीश की थी कि मिनरल किस जगह से आया था। यह बात सही है कि घटनास्थल जहां से मिनरल भरा गया था उसके आस पड़ौस से पूछताछ नहीं की गई थी कि मिनरल कहां से भरा गया था। नक्शाट्रेस व जमाबन्दी में पटवारी द्वारा किस जगह से खनन किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकलें दी गई थी। यह बात सही है कि जब्तशुदा ट्रेक्टर की खनन संबंधी फोटोग्राफी व विडीयोग्राफी नहीं करवाई गई थी। यह कहना सही है कि गवाहान नरसाराम, भंवरलाल, मंगलचंद अधीनस्थ कर्मचारी थी जिनके उसने बयान लिये थे। यह कहना सही है कि पटवारी हल्का के बयान नहीं लिये थे। यह कहना गलत है कि उसने गलत तफतीश की हो और केवल आंकड़े बताने के लिए झूठी तफतीश की हो।

(14)- गवाह पी.डब्लयू 5 नरसाराम ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 12.01.2016 को मैं कानि के पद पर पी एस रूपनगढ़ पर कार्यरत था। उस दिन कानि, वह, मंगलचन्द और ए एस आई भंवरलाल और कानि लक्ष्मण सिंह मय सरकारी जीप वास्ते जुरायम कंट्रोल एवं गस्त करने हेतु थाने से 3.05 पी एम पर रवाना होकर 3.15 पर त्योद रोड रूपनगढ़ पहुंचे तो एक ट्रेक्टर त्योद की तरफ जाता मिला जिसमें खनिज बजरी भरी हुई थी। ट्रेक्टर के आगे जाकर

उसको रूकवाया एवं ट्रेक्टर में नम्बर देखे जो आर जे 42 आर ए 0561 थे। ट्रेक्टर चालक को उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अजय पुत्र छीतर जाति माली होना बताया। ट्रेक्टर चालक से खनिज बजरी के संबंध में परमिट व लाईसेंस मांगा तो उसने नहीं होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य अपराध धारा 379 आई पी सी व 4/21 एम एम डी आर एक्ट की वकू में आना पाये जाने पर ट्रेक्टर आर जे 42 आर ए 0561 मय खनिज बजरी को जरिये फर्द जप्ती जप्त किया। ट्रैक्टर चालक अजय को जरिये फर्द गिरफ्तार किया। मौके की कार्यवाही से फारिग होकर मय माल मय मुल्जिम मय फर्दात थाना आये एवं भंवर लाल जी एस आई ने मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही ए एस आई ने हमारे सामने की थी। उक्त फर्द जप्ती प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त जप्ती उस दिन दिन में 3.40 पी एम त्योद रोड पर तैयार की थी। फर्द गिरफ्तारी अजय प्रदर्श पी 2 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त फर्द भी उसी दिन 3.50 पी एम पर त्योद रोड पर तैयार की थी। नक्शा मौका घटनास्थल दिनांक 13.01.2016 को 4.20 पी एम पर त्योद रोड पर उस जगह बनाया था जहां ट्रेक्टर को अवैध बजरी के साथ जप्त किया था। उक्त फर्द पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि वे थाने से गश्त के लिए 03:05 पीएम पर रवाना हुये थे। थाने से निकले बाबत् रोजनामचे में समय का अंकन है या नहीं जानकारी नहीं है। ट्रेक्टर त्योद की तरफ जा रहा था। सबसे पहले ट्रेक्टर किसको दिखा जानकारी नहीं है, सबसे पहले किसने ट्रेक्टर को रूकाया था याद नहीं है। ट्रेक्टर को रूकाने के समय आस पास के लोग इकट्ठे हुये हो तो मुझे याद नहीं है। ए.एस.आई. ने उसके सामने रवन्ना रसीद मांगी थी। यह कहना गलत है कि ए.एस.आई. ने रवन्ना रसीद फाड़ दी थी। यह कहना सही है कि उक्त बजरी भरे ट्रेक्टर की फोटो नहीं ली थी। यह बात सही है कि उक्त ट्रेक्टर में कौन मिनरल भरा था नहीं बता सकता कि बजरी थी, खरड़ा था क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। यह कहना सही है कि जिस मुलजिम को गिरफ्तार किया था मैं उसको पहचान नहीं सकता। यह कहना गलत है कि उपरोक्त फर्दात पर हस्ताक्षर मैंने एसआई साहब के कहने पर किये हों। यह कहना सही है कि फर्दजब्ती के समय स्वतंत्र गवाहों को तलब किया हो तो यह जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि वह आज झूठे बयान दे रहा हूं।

(15)– गवाह पी.डब्लयू 6 भवंरलाल ने अपने सशपथ बयानो के मुख्य परीक्षण में यह कथन किए हैं कि दिनांक 121.01.2016 को वह थाना रूपनगढ़ पर एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन समय 3:05 पीएम पर वह, नरसाराम कानि., मंगलचन्द कानि., लक्ष्मण सिंह कानि. चालक मय सरकारी जीप मय अनुसंधान बॉक्स वास्ते गश्त व जरायम कंट्रोल हेतु थाने से रवाना होकर समय 3:15 पीएम पर त्योद रोड रूपनगढ पहुंचे तो एक ट्रेक्टर गांव त्योद की ओर जाता हुआ मिला जिसमें खनिज बजरी भरी हुई थी। आगे जाकर ट्रेक्टर को रूकवाया। ट्रेक्टर के नम्बर देखे तो नम्बर आरजे 42 आरए 0561 थे। टेक्टर चालक से नाम पूछा तो अजय नाम

बताया। खनिज बजरी परिवहन बाबत लाइसेंस व परमिट नहीं होना बताया। उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आने पर ट्रेक्टर को जरिये फर्द जप्त किया गया। अजय को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मय जाप्ता, मय जप्तशुदा खनिज मय गिरफ्तारशुदा मुल्जिम हाजिर थाना आया जहां मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया। तहरीर प्रदर्श पी-7 है व चाक एफआइआर प्रदर्श पी-8 है जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती ट्रेक्टर मय खनिज प्रदर्श पी-1 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम प्रदर्श पी-2 है जिस पर ई से एफ उसके व जी से एच आरोपी के हस्ताक्षर है। आईओ द्वारा उसकी निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया था जो प्रदर्श पी-3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान अधिकारी ने मुझसे पूछताछ की थी और उसके बयान लिये थे। **मुलजिम पक्ष की जिरह के दौरान** इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि उक्त ट्रेक्टर त्योद की तरफ से रूपनगढ़ की तरफ आ रहा था। रास्ते में ट्रेक्टर को रूकवाया था। आज मुझे याद नहीं है कि उक्त ट्रेक्टर की ट्रोली में कोई फंटे लगे हुए थे या केवल डाले लगे हुए थे। यह जानकारी में नहीं है कि जहां पर उसने टेक्टर को रूकवाया था वहां अभियुक्त के खेत हों। उक्त ट्रेक्टर में जो माल भरा हुआ था उसे थाने पर खाली करवाया था। यह बात सही है कि खेतों में बालू मिट्टी होती है और उसमें कंकर भी होते हैं लेकिन वो बजरी नहीं होती। टेक्टर में बालू मिट्टी व कंकरीट भरी हुई थी उसके खनिज होने बाबत कोई जांच उसें सामने आईओ ने नही करवाई। अज खुद कहा कि मैंने उक्त माल को बजरी होने की शंका के आधार पर ट्रेक्टर को रूकवाया था। यह कहना सही हे कि जिस समय ट्रेक्टर को जप्त किया था उस समय कोई स्वतंत्र गवाह नही बनाया था। जो ट्रेक्टर से बालू मिट्टी व कंकरीट खाली करवाया गया था उसका आगे क्या किया यह आईओ ही बता सकता है।

(16)- विचारणीय बिन्दु संख्या 1 के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो प्रथम विचारणीय बिन्दु मूलतः खनिज के खनन से संबंधित हैं। ऐसे में खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम की धारा 22 का उल्लेख करना समीचीन है। धारा 22 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम के अनुसार "कोई न्यायालय इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य द्वारा इस निमित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गये लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नही।"

उक्त विधिक प्रावधान की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण मे प्रथम सूचना रिपोर्ट परिवादी भवंरलाल पुलिस थाना रूपनगढ द्वारा घटना से संबंधित एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 पुलिस थाना रूपनगढ में प्रस्तुत करनें पर दर्ज की गयी थी। जिस पर अनुसंधान पूर्ण कर अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित पाया

जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, परन्तु प्रकरण में न्यायालय के समक्ष संबंधित विभाग अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 22 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से कोई परिवाद पेश नही हुआ है तथा प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान पुलिस थाना रूपनगढ द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर ही लिया गया है, जो धारा 22 खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत कवंरपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एल.एल.पी. क्रिमिनल नं. 10707/2019 में यह मत व्यक्त किया हैं कि In view of the aforesaid discussion, we would uphold the order of the high court refusing to set aside the prosecution and cognizance of the offence taken by the learned magistrate under section 379 of ipc and sections 3 and 4 of the prevention of damage to public property act. **we would, however clarify that prosecution and cognizance under section 21 read with section 4 of the Mines Regulation act will not be valid and justified in the absence of the authorisation.** इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के तहत परिवाद पेश न होने पर प्रकरण में लिया गया प्रसंज्ञान व विचारण को अवैध माना। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय जयन्त बनाम मध्यप्रदेश (2021) 2 SCC 670 (क्रिमिनल अपील नं. 824-825 Of 2020) में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया हैं कि एम एम आर डी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के प्रसंज्ञान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया जाना आवश्यक है।

(17)- इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कवंरपाल सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य एल.एल.पी. क्रिमिनल नं. 10707/2019 तथा जयन्त बनाम मध्यप्रदेश (2021) 2 SCC 670 (क्रिमिनल अपील नं. 824-825 Of 2020) में पारित सिद्वान्तो के अनुसरण में पत्रावली के अवलोकन करने से यह प्रकट होता हैं कि हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा विधिनुसार न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश नही किया गया है। ऐसे में इस न्यायालय के मत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अभाव में अभियुक्त के विरूद्व प्रसंज्ञान नही हो सकता था। हस्तगत प्रकरण में धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के तहत आरोप विरचित किए गये है, परन्तु उक्त आरोप का प्रसंज्ञान किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पेश परिवाद पर नही होकर चालान पेश करने पर लिया गया है। लेकिन एम एम आर डी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए यह आवश्यक था

कि सक्षम अधिकारी सम्बन्धित धारा में न्यायालय के समक्ष परिवाद पेश करता तथा परिवाद के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर आदेश पारित किया जाता। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विधिक प्रावधानों व माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों की रोशनी में अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्यवाही दूषित हो जाने के कारण अभियुक्त को उक्त धारा में दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। ऐसे में अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दु को सदेंह से परें साबित करनें में सफल नही रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

(18)–विचारणीय बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो हम यह पाते हैं कि परिवादी भवंरलाल पी.डब्लयू 6 ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किए है कि दौराने गश्त उसके द्वारा टेक्ट्रर RJ 42 RA 0561 जिसमें बजरी भरी हुयी थी को रोका गया । टेक्ट्रर चालक अजय के पास बजरी परिवहन बाबत लाइसेंस व परमिट ना होने पर टेक्ट्रर को मय खनिज जरिये फर्द प्रदर्श पी 1 जब्त किया गया तथा मुलजिम को जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 गिरफतार किया गया। जिरह में गवाह ने कथन किए है कि उसने माल को बजरी होने की शकां होने के आधार पर टेक्ट्रर को रास्ते में रूकवाया था। इस प्रकार गवाह की जिरह अखण्डिंत रही है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 के मौतबिर साक्षीगण मगंलचन्द पी.डब्लयू 1 व नरसाराम पी.डब्लयू 5 ने भी न्यायालय में यही बयान दिये है कि दौराने गश्त उनके द्वारा टेक्ट्रर RJ 42 RA 0561 जिसमें बजरी भरी हुयी थी को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 1 जब्त किया गया तथा अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 गिरफतार किया गया। उक्त गवाहान ने फर्दात प्रदर्श पी 1 व पी 2 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराये है। अनुसंधान अधिकारी अरविंदकुमार पी.डब्लयू 4 ने स्वंय द्वारा किए गये अनुसंधान के संबंध में साक्ष्य दी है तथा यही कथन किए है कि उसके द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.द.सं. व धारा 4/21 एमएमएआरडी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार उपरोक्त सभी गवाहान के मौखिक साक्ष्य तथा दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री श्रृखंलाबद्व घटनाक्रम को दर्शित करते है तथा इस बिन्दु पर अखण्डित रही है कि टेक्ट्रर RJ 42 RA 0561 मय बजरी अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

(19)– हस्तगत प्रकरण में चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि बरवक्त घटना टेक्ट्रर RJ 42 RA 0561 को अभियुक्त के कब्जे से जब्त किया गया तो उसमें बजरी भरी हुयी थी। इस प्रकार अभियुक्त के कब्जे से खनिज बजरी की बरामदगी के तथ्यों के आधार पर धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के

अन्तर्गत न्यायालय के पास यह शक्ति है कि न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उन विशिष्ट मामलों के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है। इसी क्रम में न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत **क** के अनुसार यह उपधारित करता है कि चुराये हुए माल पर जिस अभियुक्त का चोरी के शीघ्र उपरांत कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो चह चोर है या उसने माल को चुराया है या माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है। अपने कब्जे से बरामद बजरी/माल के कब्जे के संबंध में अभियुक्त उसके कब्जे का कोई कारण विनिर्दिष्टतः नही बता सका है।

(20)- दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सदेंह से परें साबित करना होता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत घटित हुए अपराध की विशिष्टियों को सदेंह से परें साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को उसके विरूद्व आरोपित अपराध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्व किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के तहत घटित हुए अपराध की विशिष्टियों को अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री तथा स्थापित विधि की रोशनी में न्यायालय के विनम्र मत में युक्तियुक्त सदेंह से परें प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

(21)- अतः अभियुक्त अजय पुत्र श्री छीतर, निवासी ग्राम रलावता, पुलिस थाना गाधींनगर, जिला अजमेर को अपराध अन्तर्गत धारा 4/21 एम एम आर डी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्व घोषित किया जाता है।

[राहुल शर्मा]
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

दण्डादेश

(22)- **दण्ड के बिन्दु पर-**अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में

दोषसिद्ध करने पर सजा के बिन्दु पर सुना गया। उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह गरीब है। यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। कारावास का दण्ड देने से अभियुक्त का भविष्य बर्बाद हो जाएगा जो समाज के हित में नही होगा। अतः नरमी का रूख अपनाया जावे। तथा अभियुक्त को परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाकर परीविक्षा पर स्वतत्र किए जाने का निवेदन किया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने नरमी के रूख का विरोध किया और कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया।

(23)-इस संबंध में पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धी का कोई तथ्य पत्रावली पर नही है। इस संबंध में अभियुक्त की ओर से यह शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है कि उसे पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है ना ही उसने किसी प्रकरण में पूर्व में परीविक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अभियुक्त प्रकरण में वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहा है। उक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्वी पर तुरन्त दण्डित किया जाना न्यायोचित नही पाता है तथा अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(24)-अतः अभियुक्त अजय पुत्र श्री छीतर, निवासी ग्राम रलावता, पुलिस थाना गाधींनगर, जिला अजमेर को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषसिद्व घोषित किए जाने पर तत्काल किसी कारावास की सजा से दण्डित किए जाने के स्थान पर आपराधिक परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत इन शर्तो पर परीविक्षा पर छोडा जाता है कि यदि अभियुक्त न्यायालय के सन्तोषप्रद एक साल की कलावधि के लिए लोक शातिं व सदव्यवहार बनाये रखने, अपराध की पुनरावृति नही करने एवं शर्त भंग की स्थिति में न्यायालय की तलबी पर तत्समय दी जाने वाली सजा भुगतने हेतु उपस्थित होने बाबत 10,000/-रूपयें का एक बंधपत्र व समान राशि की प्रतिभू पत्र पेश कर तस्दीक करा दे तो उसे परीविक्षा पर छोडा जावे। अभियुक्त पर परीविक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1000/-रूपयें बतौर अभियोजन व्यय अधिरोपित किए जाने का आदेश दिया जाता है। अभियुक्त की और से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाबत् उपस्थित होने तारीख पेशी निष्प्रभावी करार दिये जाते हैं।

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर हैं जो सुपुर्दगीगार के पास रहे एवं सुपुर्दगीनामा-जमानतनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जावे।

[राहुल शर्मा]
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर

(25)– निर्णय आज दिनांक 07–03–2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत्त न्यायालय मे सुनाया गया।

[राहुल शर्मा]
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगढ, जिला अजमेर